

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी— ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.  
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या : 13/2025

निर्णय दिनांक : 19.05.2025

GCMS NO : 2025/29

ओंकार मल पुत्र निराणा राम जाति मेघवाल निवासी ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु(राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :-

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिस्सु एड. उपस्थित।
2. अप्रार्थी परोकार राज उपस्थित।



—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग—उपभोग के खेत खाता संख्या 142 के खसरा संख्या 765/102 तादादी 3.7935 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु स्थित है। जिसे प्रार्थना—पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम नारायणराम दर्ज है जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी के पिता का वास्तविक व सही नाम निराणा राम है।

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

उप खण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़


प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम रणधीसर में प्रार्थी के पिता का नाम नारायणराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में पिता का नाम निराणाराम है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम निराणाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पिता का पहचान-पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, पिता के बैंक पासबुक की छायाप्रति आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का सही तथा वास्तविक नाम निराणा राम ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

### आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि के खेत खाता संख्या 142 के खसरा संख्या 765/102 तादादी 3.7935 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम नारायणराम के स्थान पर निराणाराम दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।



ओमप्रकाश वर्मा  
उपखण्ड अधिकारी  
सुजानपुर (चूरु)